

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक :

107

प्रकरण दर्ज दिनांक

अनावेदक :

ब्रोजेकर - गोकुल टॉवर

CGRERA-P.: m-com-2019-00356

आदेश कार्यवाही की
तारीख व स्थान

आदेश अथवा कार्यवाही

पक्षकार अथवा प्रतिनिधि
के हस्ताक्षर

05/04/2019

विषयांगत लेख है कि आपका रियल एस्टेट प्रोजेक्ट गोकुल टॉवर छत्तीसगढ़ रेरा में पंजीयन नंबर PCGRERA050618000043 के रूप में दिनांक 05.06.2018 से पंजीकृत है। भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 11 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सभी प्रमोटर्स को उनके प्रत्येक रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की त्रैमासिक प्रगति रेरा के वेबपोर्टल पर अद्यतन करना अनिवार्य है। इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपने परिपत्र क्रमांक-17/रेरा/2018/562, दिनांक 28.09.2018 एवं क्रमांक-22/रेरा/2018/676, दिनांक 03.11.2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। जो प्राधिकरण की वेबसाइट पर सहज उपलब्ध हैं।

प्राधिकरण द्वारा समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों तथा प्राधिकरण के निर्देशों की अवहेलना करते हुए अपने ऊपर वर्णित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की त्रैमासिक प्रगति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अब तक अद्यतन नहीं की गई है।

— प्रकरण दर्ज हो।

— अनावेदक को अधिनियम की धारा 61 के अंतर्गत कार्यवाही के संबंध में नोटिस जारी किया जावे।

मा.दि.-25/04/2019

25/4/19

- 1) Case taken today. Resp present- (विवेक टॉड) अध्यक्ष
- 2) Resp has updated upto date progress. The project is officially complete too
- 3) Case be closed & sent to the record room

25/4

अध्यक्ष

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़ रायपुर

